1.

सार्वजनिक सूचना

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा

(अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण से सम्बन्धित संस्थाओं के ध्यानार्थ)

"अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित संस्थान/सोसायटी को वित्तीय सहायता" स्कीम के अन्तर्गत इन वर्गो के सामाजिक व शैक्षणिक उदेद्श्य के लिए प्रयोग किये जाने वाले नये सामुदायिक भवन के निमार्ण, अधूरे भवन को पूर्ण करने, मुरम्मत करवाने हेतु 2.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त इन भवनों में पुस्तकालय, कम्प्यूटर व अन्य शैक्षणिक उपकरण खरीदने तथा पुस्तकालय में पढ़ने की पुस्तकें और शिक्षा संबंधी सामान खरीदने हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राशि देने हेतु भवन पूर्ण करने/मरम्मत/नव निर्माण के क्रम में प्राथमिकता दी जाएगी।

पात्रता संबंधी शर्तें

1. केवल वह संस्था/समीति जो कि अनुसूचित जाति/पिछडे वर्ग से संबंधित है वह समीति रजिस्र्टेशन एक्ट 1860 और भारतीय ट्रस्ट एक्ट के आधीन रजिस्र्टड है। वित्तीय सहायता हेतु योग्य होंगे।
2. संस्था/समीति जिनके पास कम से कम 100 स्केयर यार्ड की अपनी स्वंय की भूमि है तथा जिन संस्था/समीति को सरकार/पंचायत/स्थानीय निकाय तथा अन्य व्यक्तिगत तौर पर भूमि दी गई है या फिर दान की गई है योग्य होंगे।
3. प्रत्येक संस्थान/समीति दूसरी बार सहायता 5 वर्ष के उपरान्त ही ले सकता है। यदि उसने सभी उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवा दिये है तो ही योग्य है।

वित्तीय सहायता लेने हेतु आवेदन का तरीका एवं सलंग्न किये जाने वाले दस्तावेज़

1. अनुसूचित जाति एव पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित संस्थान/सोसायटी, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या इण्डियन ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिये संस्था के पंजीकरण की एंव संविधान की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ सलंग्न की जाये।
2. आवेदन पत्र निर्धारित प्रोफार्मे में होना चाहिये ।
3. संस्थान/सोसायटी के पास कम से कम 100 वर्ग गज का अपना प्लाट होना चाहिये या सरकार/पंचायत/स्थानीय निकाय/अन्य व्यक्ति द्वारा अलाट/डोनेट किया होना चाहिये जिसकी सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ सलंग्न की जाये।
4. प्लाट की रजिस्ट्री सम्बन्धित संस्था के नाम होनी चाहिये तथा प्रस्तावित भवन का नक्शा व कार्य की अनुमानित लागत आवेदन पत्र के साथ सलंग्न की जाये ।
5. यह अनुदान हरियाणा राज्य में कार्य करने के लिये ही दिया जाएगा ।
6. इस स्कीम के तहत यदि किसी संस्थान/सोसायटी द्वारा पहले अनुदान प्राप्त किया गया हो तो वह संस्था/सोसायटी पांच वर्ष के बाद ही आवेदन कर सकती है बशर्ते की उस द्वारा प्राप्त राशि का सदुपयोग कर लिया गया हो ।.

7. संस्था/समिति का वार्षिक लेखा जोखा एव बैलेंस शीट।

8. संस्था के प्रधान का नाम व जाति।

इच्छुक संस्थान/सोसायटी अपने आवेदन पत्र दिनांक 01-08-2019 तक सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारियों को भेजें। फार्म विभाग की वैबसाईट www.haryanascbc.gov.in से download करें। अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें।

जिला कल्याण अधिकारी	दूरभाष नं0	जिला कल्याण अधिकारी	दूरभाष नं0
अम्बाला	0171-2536450	हिसार	01662-283360
पंचकूला	0172-2583378	रिवाडी	01274-260758
करनाल	0184-2266093	मेवात एट नूंह	01267-274679
यमुनानगर	01732-237859	गुरूग्राम	0124-2305415
सोनीपत	0130-2220732	पलवल	01275-248056
कुरुक्षेत्र	01744-220459	फरीदाबाद	0129-2285175
पानीपत	0180-2658065	कैथल	01746-234637
झाज्जर	01251-254779	फतेहाबाद	01667-230169
रोहतक	01262-269842	नारनौल	01282-250271
भिवानी	01664-242629	जीन्द	01681-245132
सिरसा	01666-248891	चरखीदादरी	01664-242629

निदेशक,
अनुसूचित जातिया एव पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग, हरियाणा, एस0सी0ओ0
30 बेज बिल्डिंग, सैक्टर 17– सी, चण्डीगढ़।
Email. dbcharyana@gmail.com
0172-2716248

(Annexure-A)

सेवा में

जिला कल्याण अधिकारी,

....

मेमो न0

दिनांक:

विषयः— अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्गो के कल्याण में लगी संस्थाओं/समितियों को आर्थिक सहायता स्कीम के तहत अनुदान हेतु आवेदन पत्र।

----

1. संस्था/समिति का नाम..

2. संपूर्ण पता..

3. संस्था की कार्यवाही समिति (Executive Committee) के सदस्यों का ब्यौरा, नाम, पद, फोन नं0, मोबाईल न0, पता व ईमेल आईडी सहित..

4. आवेदित राशि..

5. अनुदान राशि का उद्देश्य...

6 पहले प्राप्त की गई किसी भी अनुदान राशि का ब्यौरा

स्त्रोत..

राशि..वर्ष..

7. क्या पूर्व अनुदान राशि के इस्तेमाल का प्रमाणपत्र जमा करवा दिया गया है.................................

8. संस्था/समिति के नाम भूमि के प्रमाण की प्रति..

9. संस्था/समिति के पंजीकरण के प्रमाण की प्रतिसत्यापित प्रति एंव संविधान की प्रति...........................

10. भवन योजना की प्रति तथा अनुमानित खर्च की विस्तृत जानकारी.......................................

11. संस्था के प्रधान का नाम व जाति..

12. बैंक का नाम,खाता न0, आई0एफ0एस0सी0 कोड तथा पैन नं0..

....

13. संस्था/समिति का वार्षिक लेखा--जोखा एंव बैलेंस सीट..

14. अन्य सूचना जो देना चाहें...

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम व पदनाम

(संस्था/समिति की सील के साथ)